

Anne

APPENDIX C

SANCTION BY DEVELOPMENT
PERMISSION/COMMITTEE

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड
INDIA'S DEVELOPMENT BOARD

V. P. No. 86/004/ To _____ Date 26/7/02
 3] क्षमाता "वी-३" - लैंपर्स नियोगी विभाग - अमेरिका उपर्युक्त नाम
 Shri/Smt. उमेश वी. प्रसाद, अध्यक्ष, शहरी नियोगी विभाग - अमेरिका उपर्युक्त [Architect/Engineer]
 Shri/Smt. मे. एकता ताप्तक तेहतारी, अधिकारी नियोगी विभाग, डाकाधनकार, ठाणे. (Owner)
 Sir. _____
 (C.C.UPTC फैलायन व्हीएल कॉम्प.)

With reference to your application No. P/90 dated 07/03/03 for development permission/grant of commencement certificate under section 45 & 55 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1965 to carry out development work and to erect building No. दृष्टिपुराता in Village ढाटीन रोड सांगली Section No. _____ Ward No. _____ situated at Roed/Street _____ S. No. _____ Date _____ 21-01-2003 नव-प्राची नं. १८
दृष्टि रोड इन तापौर.

- 1) The land vacated in consequence of the enforcement of this order shall form Part of the public street.

2) No new building or part thereof shall be constructed or allowed to be occupied or permitted to be used by any person until occupancy permission has been granted.

3) The development permission / Commencement of construction shall remain valid for a period of one year commencing from the date of its issue.

4) This permission does not entitle you to develop the land which does not yet exist.

5) तस्वीर मार्गपटनाया तिपासी प्रत्याधिकारी द्वारा जो निम्न वाचकालीन अधिकारी के नामका सहीपालिका विनाम्रता हस्तांतरित करने वाली दस्तावेज़ वाचकालीन अधिकारी द्वारा दिए गए उपर्युक्त वर्णन वज्र [अडारटेटिंग] है। आवश्यक विवरणात्मक दस्तावेज़।

6) ५० टक्के तदनिया रात्रि घेयेवाबतपै दि. १२/१०/२००२ दोषात् विवरण अधिकारक दस्तावेज़।

7) समय अनुसारीप्या जोत्यार्थी ५० टक्के के दावतराषा नामी ५० टक्के देकर ५० वर्षात्मा भराएटी मरणा हरी आपीयल रहीत, एवं वार्षिक १२ दि. १२/१०/२००२ दोषात् विवरण अधिकारक दस्तावेज़।

8) भोजपटनायात्मिय हस्तांतरित अधिकारी द्वारा जो निम्न वाचकालीन अधिकारी के नामका सहीपालिका विनाम्रता हस्तांतरित करने वाली दस्तावेज़ वाचकालीन अधिकारी द्वारा दिए गए उपर्युक्त वर्णन वज्र [अडारटेटिंग] है। आवश्यक विवरणात्मक दस्तावेज़।

9) विष्ट मैटेनान्सात्मक दबीपत्र विवरण अधिकारक दस्तावेज़।

WARNING : PLEASE NOTE THAT THE DEVELOPMENT IN CONTRAVICTION OF THE APPROVED PLANS AMOUNTS TO COGNISABLE OFFENCE PUNISHABLE UNDER THE
REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT 1966.

महाराष्ट्र राज्यपाली १०. प्रदिव्यता विभी निवास एवं ग्रामीण विकास बोर्ड त्रिवेश्वराचार्य वाला दाका

Office Stamp -

918